प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.08.2026

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा घर में चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 01 सिलेण्डर बरामद ।

दिनांक 16.08.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र पप्पू कुमार निवासी 1308 गली नं0 7 जय डेरी के पास घूकना थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी का एक इण्डेन कम्पनी गैस सिलेण्डर बरामद । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त गौरव त्यागी उपरोक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि साहब यह इण्डेन कम्पनी का गैस सिलेण्डर मैने सतीश चन्द शर्मा के घर की छत के रोशनदान में होकर नीचे उतर कर रसोई का ताला तोड़कर चोरी किया था। क्योकि रसोई में रखा गैस सिलेण्डर रसोई की खिडकी से साफ दिख रहा था। जिसे देख के मेरे मन में लालच आ गया, इसलिए मैने गैस सिलेण्डर चोरी किया था । जिसको मै बेचने की फिराक में था आज मैं इस सिलेण्डर को बेंचने के लिए जा रहा था, तभी आपने पकड लिया ।

नाम पता अभियुक्त

गौरव कुमार पुत्र पप्पू कुमार निवासी 1308 गली नं0 7 जय डेरी के पास घूकना थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

एक इण्डेन कम्पनी का गैस सिलेण्डर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर वांछित टप्पेबाज गिरफ्तार, कब्जे से टप्पेबाजी से संबंधित कान की बाली (कुंडल) पीली धातु बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः-दिनांक 04.07.2026 को वादिया श्रीमती विनीता पत्नी वीरु, निवासी झंडापुर मेन मार्केट, थाना लिंक रोड, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना लिंक रोड पर लिखित तहरीर दी गई कि वह दवाई लेने के लिए अपने घर से निकली थीं। रास्ते में 02-03 अज्ञात लड़के उनके पास आए तथा अपनी बातों में बहला-फुसलाकर धोखे से उनके कान के कुंडल उतरवा लिये और मौके से फरार हो गये।प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंक रोड पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु थाना लिंक रोड पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों की सहायता एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 11.07.2026 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पाले खान को टप्पेबाजी से प्राप्त 01 कान की बाली (कुंडल) पीली धातु सहित गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के दौरान अभियोग में 02 अभियुक्त वांछित पाए गए। दिनांक 15.08.2026 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान वांछित अभियुक्त सहताब को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना से संबंधित 01 कान की बाली (कुंडल) पीली धातु बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्त सहताब ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 04.07.2026 को उसने अपने साथी इरफान उर्फ चुम्मन तथा पाले खान के साथ मिलकर सीईएल कंपनी के सामने रोड पर डाकखाने के पास एक महिला को अपनी बातों में फंसाकर उसके कान की बालियां उतरवाकर टप्पेबाजी की थी। अभियुक्त ने बताया कि घटना में प्राप्त एक बाली पाले खान के पास थी तथा दूसरी बाली उसके और इरफान उर्फ चुम्मन के पास थी। अभियुक्त उक्त बाली को बेचने के लिए घूम रहा था, तभी पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. **सहताब पुत्र आसिफ अली**, निवासी चांदमारी झुग्गी-झोपड़ी, जल्लू चौराहा, सम्राट चौक के पास, थाना विजय नगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।
2. **इरफान उर्फ चुम्मन** — वांछित।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 कान की बाली (कुंडल) पीली धातु।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. अभियुक्त सहताब के विरुद्ध थाना लिंक रोड पर टप्पेबाजी से संबंधित 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।